

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव मित्तल, भा0प्र0से0
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 16.02.2026

विषय:- बिहार विनियोग अधिनियम, 2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के व्यय के संबंध में ।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार विनियोग विधेयक, 2026 पर माननीय राज्यपाल ने दिनांक: 15.02.2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग अधिनियम 2026 (बिहार अधिनियम 01,2026) को अधिसूचना संख्या-एल0जी0-01-05/2026/लेज:-1349 एवं 1350 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 16.02.2026 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-202, दिनांक-16.02.2026 से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या-202, दिनांक-16.02.2026 की 3 (तीन) प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं 5 (पाँच) प्रतियाँ महालेखाकार, ले0 एवं हक0 को तथा सभी विभागों को एक-एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सीधे अनुसूची के माध्यम से खण्ड-3 भाग-1 में पृष्ठ सं0-1 से 195 तक में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि का व्यय बिहार गजट की अनुसूची में प्रदर्शित प्रत्येक मांग/विनियोग के लिए राजस्व एवं पूंजी के अधिकतम राशि तक ही किया जा सकता है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है। राज्य योजना अन्तर्गत यदि उद्व्यय के प्रत्याशा में राशि प्रावधानित की गई हो तो, उसके लिए योजना एवं विकास विभाग से अतिरिक्त उद्व्यय/उद्व्यय का सामंजन प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाना है ।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति विभागों एवं प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को पत्रांक: 146 दिनांक: 09.02.2026 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

5. तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाईट <https://egazette.bih.nic.in/> पर देखा जा सकता है।


विश्वासभाजन,


(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-04/2026- 191/वि0 पटना, दिनांक: 16.02.2026


प्रतिलिपि-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली /माननीय मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव /लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-04/2026- 191/वि0 पटना, दिनांक: 16.02.2026

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-04/2026- 191/वि0 पटना, दिनांक: 16.02.2026

प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/श्रमायुक्त, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला एवं संस्कृति विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाजिक कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक,

अभिलेखागार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-04/2026- 191/वि0 पटना, दिनांक: 16.02.2026

प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।




(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-04/2026- 191/वि0 पटना, दिनांक: 16.02.2026

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/प्रभारी पदाधिकारी, लेखा प्रशासन/प्रशाखा-4, 5 एवं 10/ई-गवर्नेंस कोषांग/कोषागार शाखा/स्थापना प्रशाखा-1 एवं 2/लेखा शाखा/उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव/सचिव (व्यय) एवं सचिव (संसाधन)/विशेष सचिव, वित्त विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10, 13 एवं 4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-04/2026- 191/वि0 पटना, दिनांक: 16.02.2026

प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(संजीव मित्तल)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-04/2026- 191/वि0 पटना, दिनांक: 16.02.2026

प्रतिलिपि- प्रणाली विश्लेषक/ आई0 टी0 मैनेजर ई-गवर्नेंस कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें तथा

सभी विभाग/जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल भी कर दें।


(संजीव मिश्रा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-04/2026- 191/वि0 पटना, दिनांक: 16.02.2026

प्रतिलिपि-बजट शाखा के सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/अवर बजट नियंत्रक /सहायक निदेशक/लेखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव मिश्रा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ 1947 (श10)

(सं0 पटना 202) पटना, सोमवार, 16 फरवरी 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

16 फरवरी 2026

सं० एल०जी०-01-05/2026-1349/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

बिहार विनियोग अधिनियम, 2026

[बिहार अधिनियम सं०-01, 2026]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह 01 अप्रैल 2025 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. 2025-26 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 12165,43,72,000 (बारह हजार एक सौ पैसठ करोड़ तैंतालीस लाख बहत्तर हजार) रुपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रैल, 2025 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 12165,43,72,000 (बारह हजार एक सौ पैसठ करोड़ तैंतालीस लाख बहत्तर हजार) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे ।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रैल, 2025 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जाएगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	कृषि विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	3,000	0	3,000
02	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	11,54,48,000	0	11,54,48,000
03	भवन निर्माण विभाग	पूंजी	1,90,47,00,000	0	1,90,47,00,000
		राजस्व	5,11,03,95,000	0	5,11,03,95,000
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	7,41,15,000	0	7,41,15,000
05	राज्यपाल सचिवालय	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
06	निर्वाचन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
07	निगरानी विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	9,00,000	0	9,00,000
08	कला एवं संस्कृति विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
09	सहकारिता विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	63,41,24,000	0	63,41,24,000
10	ऊर्जा विभाग	पूंजी	31,87,00,000	0	31,87,00,000
		राजस्व	3,49,47,00,000	0	3,49,47,00,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
		पूँजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
12	वित्त विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	2,43,77,000	0	2,43,77,000
13	सूद भुगतान	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
14	ऋण अदायगियाँ	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
15	पेंशन	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	0	2,90,00,000	2,90,00,000
16	पंचायती राज विभाग	पूँजी	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
		राजस्व	3,48,42,74,000	0	3,48,42,74,000
17	वाणिज्य-कर विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	3,21,22,00,000	0	3,21,22,00,000
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	पूँजी	1,65,55,000	0	1,65,55,000
		राजस्व	85,07,11,000	0	85,07,11,000
20	स्वास्थ्य विभाग	पूँजी	8,72,50,00,000	0	8,72,50,00,000
		राजस्व	5,77,11,61,000	0	5,77,11,61,000
21	शिक्षा विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	2,85,66,01,000	0	2,85,66,01,000
22	गृह विभाग	पूँजी	2,57,85,00,000	0	2,57,85,00,000
		राजस्व	1,07,00,45,000	0	1,07,00,45,000
23	उद्योग विभाग	पूँजी	11,36,00,000	0	11,36,00,000
		राजस्व	17,12,17,29,000	0	17,12,17,29,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	23,80,00,000	0	23,80,00,000
26	श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	9,73,00,000	0	9,73,00,000
27	विधि विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	31,91,01,000	0	31,91,01,000
28	उच्च न्यायालय	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	पूँजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
		पूंजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	पूंजी	7,08,66,000	0	7,08,66,000
		राजस्व	0	0	0
31	संसदीय कार्य विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
32	विधान मंडल	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	6,50,00,000	4,80,000	6,54,80,000
33	सामान्य प्रशासन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	5,36,00,000	0	5,36,00,000
34	बिहार लोक सेवा आयोग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	12,10,00,000	12,10,00,000
35	योजना एवं विकास विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	पूंजी	6,00,00,000	0	6,00,00,000
		राजस्व	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	पूंजी	11,34,50,00,000	0	11,34,50,00,000
		राजस्व	1,02,16,00,000	0	1,02,16,00,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	0	0	0
41	पथ निर्माण विभाग	पूंजी	4,40,00,00,000	0	4,40,00,00,000
		राजस्व	50,00,00,000	0	50,00,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	24,24,45,00,000	0	24,24,45,00,000
43	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	55,81,33,000	0	55,81,33,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	98,00,00,000	0	98,00,00,000
45	गन्ना उद्योग विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	2,12,85,000	0	2,12,85,000
46	पर्यटन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	2,55,00,000	0	2,55,00,000
47	परिवहन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	8,00,000	0	8,00,000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	4,31,21,00,000	0	4,31,21,00,000

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व	अनधिक राशियां (रूपयों में)		
		पूंजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
49	जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	50,00,00,000	0	50,00,00,000
50	लघु जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	80,86,09,000	0	80,86,09,000
51	समाज कल्याण विभाग	पूंजी	30,20,00,000	0	30,20,00,000
		राजस्व	6,94,32,34,000	0	6,94,32,34,000
52	खेल विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	14,27,00,000	0	14,27,00,000
53	युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	पूंजी	0	0	0
		राजस्व	1,67,26,000	0	1,67,26,000
		योग राजस्व	86,66,89,71,000	15,04,80,000	86,81,94,51,000
		योग पूंजी	34,83,49,21,000	0	34,83,49,21,000
		महायोग	1,21,50,38,92,000	15,04,80,000	1,21,65,43,72,000

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

16 फरवरी 2026

सं० एल०जी०-01-05/2026-1350/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2026 को अनुमत बिहार विनियोग अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 01, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR APPROPRIATION ACT, 2026
[Bihar Act No.- 01, 2026]

AN
ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTYFIRST DAY OF MARCH, 2026.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**—

- (1) This Act may be called the Bihar Appropriation Act, 2026.
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force with effect from 1st April 2025.

2. **Withdrawal of total Rs.- 12165,43,72,000 (Twelve thousand One hundred Sixty Five crore Forty Three lakh and Seventy Two Thousand), out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year 2025-26.**—Total Rs.- 12165,43,72,000 (Twelve thousand One hundred Sixty Five crore Forty Three lakh and Seventy Two Thousand), which will not be more than the amount mentioned in column-6 of the schedule of this Act from The Consolidated Fund of The State of Bihar to meet various expenses to be incurred related to the payment during the year commencing from 1st April, 2025 in relation to the services mentioned in column-2 of the Schedule of this Act.

3. **Appropriation.**— The amount authorized for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services mentioned in the Schedule concerned related to the year commencing from first day of April, 2025 and will be appropriated in respect of them.

Schedule

(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State
1	2	3	4	5	6
01	Agriculture Department	Capital	0	0	0
		Revenue	3,000	0	3,000
02	Dairy, Fisheries and Animal Resources Department	Capital	0	0	0
		Revenue	11,54,48,000	0	11,54,48,000
03	Building Construction Department	Capital	1,90,47,00,000	0	1,90,47,00,000
		Revenue	5,11,03,95,000	0	5,11,03,95,000
04	Cabinet Secretariat Department	Capital	0	0	0
		Revenue	7,41,15,000	0	7,41,15,000
05	Secretariat of the Governor	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
06	Election Department	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
07	Vigilance Department	Capital	0	0	0
		Revenue	9,00,000	0	9,00,000
08	Department Of Art & Culture	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
09	Co-operative Department	Capital	0	0	0
		Revenue	63,41,24,000	0	63,41,24,000

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue	Sums not exceeding (In Rupees)		
		Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
10	Energy Department	Capital	31,87,00,000	0	31,87,00,000
		Revenue	3,49,47,00,000	0	3,49,47,00,000
11	BC and MBC Welfare Department	Capital	0	0	0
		Revenue	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
12	Finance Department	Capital	0	0	0
		Revenue	2,43,77,000	0	2,43,77,000
13	Interest Payment	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
14	Repayment of Loans	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
15	Pension	Capital	0	0	0
		Revenue	0	2,90,00,000	2,90,00,000
16	Panchayati Raj Department	Capital	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
		Revenue	3,48,42,74,000	0	3,48,42,74,000
17	Commercial Tax Department	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
18	Food and Consumer Protection Department	Capital	0	0	0
		Revenue	3,21,22,00,000	0	3,21,22,00,000
19	Environment , Forest and Climate Change Department	Capital	1,65,55,000	0	1,65,55,000
		Revenue	85,07,11,000	0	85,07,11,000
20	Health Department	Capital	8,72,50,00,000	0	8,72,50,00,000
		Revenue	5,77,11,61,000	0	5,77,11,61,000
21	Education Department	Capital	0	0	0
		Revenue	2,85,66,01,000	0	2,85,66,01,000
22	Home Department	Capital	2,57,85,00,000	0	2,57,85,00,000
		Revenue	1,07,00,45,000	0	1,07,00,45,000
23	Industries Department	Capital	11,36,00,000	0	11,36,00,000
		Revenue	17,12,17,29,000	0	17,12,17,29,000
24	Information and Public Relation Department	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
25	Information Technology Department	Capital	0	0	0
		Revenue	23,80,00,000	0	23,80,00,000
26	Labour Resources and Migrant Workers Welfare Department	Capital	0	0	0
		Revenue	9,73,00,000	0	9,73,00,000
27	Law Department	Capital	0	0	0
		Revenue	31,91,01,000	0	31,91,01,000
28	High Court of Bihar	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
29	Mines and Geology Department	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue	Sums not exceeding (In Rupees)		
		Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
30	Minorities Welfare Department	Capital	7,08,66,000	0	7,08,66,000
		Revenue	0	0	0
31	Parliamentary Affairs Department	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
32	Legislature	Capital	0	0	0
		Revenue	6,50,00,000	4,80,000	6,54,80,000
33	General Administration Department	Capital	0	0	0
		Revenue	5,36,00,000	0	5,36,00,000
34	Bihar Public Service Commission	Capital	0	0	0
		Revenue	0	12,10,00,000	12,10,00,000
35	Planning and Development Department	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
36	Public Health Engineering Department	Capital	6,00,00,000	0	6,00,00,000
		Revenue	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
37	Rural Works Department	Capital	11,34,50,00,000	0	11,34,50,00,000
		Revenue	1,02,16,00,000	0	1,02,16,00,000
38	Prohibition, Excise and Registration Department	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
39	Disaster Management Department	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
40	Revenue and Land Reforms Department	Capital	0	0	0
		Revenue	0	0	0
41	Road Construction Department	Capital	4,40,00,00,000	0	4,40,00,00,000
		Revenue	50,00,00,000	0	50,00,00,000
42	Rural Development Department	Capital	0	0	0
		Revenue	24,24,45,00,000	0	24,24,45,00,000
43	Science, Technology and Technical Education Department	Capital	0	0	0
		Revenue	55,81,33,000	0	55,81,33,000
44	SC & ST Welfare Department	Capital	0	0	0
		Revenue	98,00,00,000	0	98,00,00,000
45	Sugar Cane Industries Department	Capital	0	0	0
		Revenue	2,12,85,000	0	2,12,85,000
46	Tourism Department	Capital	0	0	0
		Revenue	2,55,00,000	0	2,55,00,000
47	Transport Department	Capital	0	0	0
		Revenue	8,00,000	0	8,00,000
48	Urban Development and Housing Department	Capital	0	0	0
		Revenue	4,31,21,00,000	0	4,31,21,00,000

Schedule
(See Sections 2 and 3)

Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue	Sums not exceeding (In Rupees)		
		Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
49	Water Resources Department	Capital	0	0	0
		Revenue	50,00,00,000	0	50,00,00,000
50	Minor Water Resource Department	Capital	0	0	0
		Revenue	80,86,09,000	0	80,86,09,000
51	Social Welfare Department	Capital	30,20,00,000	0	30,20,00,000
		Revenue	6,94,32,34,000	0	6,94,32,34,000
52	Department of Sports	Capital	0	0	0
		Revenue	14,27,00,000	0	14,27,00,000
53	Youth, Employment and Skill Development Department	Capital	0	0	0
		Revenue	1,67,26,000	0	1,67,26,000
Total Revenue			86,66,89,71,000	15,04,80,000	86,81,94,51,000
Total Capital			34,83,49,21,000	0	34,83,49,21,000
Grand Total			1,21,50,38,92,000	15,04,80,000	1,21,65,43,72,000

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 202-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>